न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 233/2022

प्रार्थीनी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 उकाराम पुत्र तुलसाराम 2 कस्तुराराम पुत्र नानगाराम 3 पाबूराम पुत्र भीमाराम 4 नेमाराम पुत्र आम्बाराम 5 भेराराम पुत्र खूमाराम 6 शोभाराम पुत्र मंगलाराम 7 देवाराम पुत्र पताराम 8 हरजीराम पुत्र तुलछाराम 9 प्रभूराम पुत्र आम्बाराम 10 गोमाराम पुत्र भंवराराम 11 कानाराम पुत्र लाभूराम 12 किशनाराम पुत्र भंवराराम 13 तमाचीराम पुत्र जालाराम 14 उकाराम पुत्र नानगाराम 15 टीकमाराम पुत्र हरजीराम 16 माणकाराम पुत्र खूमाराम 17 नगाराम पुत्र हरजीराम 18 पुरखाराम पुत्र लाभूराम 19 रामाराम पुत्र कुस्टाराम 20 नाथूराम पुत्र भंवराराम 21 मनजीराम पुत्र आम्बाराम 22 मखणी पत्नी नवलाराम 23 धाई पत्नी हरजीराम 24 बादली पत्नी भमाराम 25 पारसाराम पुत्र खूमाराम 26 चूनी पत्नी राऊराम 27 लखाराम पुत्र बींजाराम 28 किसनाराम 29 मदनलाल पुत्र नवलाराम 30 खरताराम 31 बालाराम पिसरान हरजीराम 32 खेताराम पुत्र राऊराम 33 विरधाराम पुत्र भीमाराम 34 महेन्द्राराम पुत्र जेताराम 35 कैलाश 36 मेहराराम पिसरान नखताराम 37 वीराराम 38 अर्जुनराम पिसरान नानगाराम जाति मेघवाल निवासी कमोईपुरा (भादरेश) तहसील व जिला बाडमेर।		1 हेतुदान 2 अर्जुनदान पिसरान शंकरदान 3 किस्तुरी पत्नी मुरारदान 4 माधुदान पुत्र शंकरदान जाति चारण निवासी कमोईपुरा (भादरेश) तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए RTA Act.

उपस्थिति :– 1. श्री चुतरदान चारण वकील प्रार्थीगण।
2. श्री मुकेश जैन, वकील अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 16-12-22

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा कमोईपुरा पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 305/194, 261/201, 286/194, 260/201, 193, 192, 191, 219/206 व 217/207 के प्रार्थीगण की खातेदारी के आए हुए है। प्रार्थीगण की जोत से बाडमेर से हरसाणी जाने वाली डामर सड़क व उसके आगे शमशान घाट तक आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 224/208 से आने–जाने का एक–मात्र रास्ता है। इसके अलावा प्रार्थीगण के पास में कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण को अपनी जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। लिहाजा प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि में से आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण उपस्थित। वकील अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा संख्या 224/208 में से रास्ता दिलाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसमे समस्त खातेदारों को पक्षकार नही

बनाया गया है, जिसके कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। अप्रार्थी संख्या 01, 04 व 04 द्वारा अपने सम्पूर्ण हिस्सा को स्टेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भादरेश के पास रहन कर रखा है, इसी कारण स्टेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भादरेश को भी पक्षकार नही बनाया गया है लिहाजा पक्षकार के अभाव में प्रार्थना पत्र चलने योग्य होने से मय खर्चा खारिज किया जावें।

अप्रार्थी संख्या 01 ने लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित मार्ग में आने वाले खसरा संख्या 191, 192, 193, 286/94 व 261/201 की भूमि को अवाप्त करने की मांग नही की गई है, जो विधि विरूद्ध व अव्यवहारिक है। खसरा संख्या 219/206 स्वयं की खातेदारी के खेत से डामर सड़क तक मार्ग जा रहा है तो प्रार्थीगण की खातेदारी खेतों को स्पर्श करता है। अतः आवेदन खारिज योग्य है। लिहाजा नये मार्ग की आवश्यकता नही होने तथा अप्रार्थीगण जो गरीब लोग है उनकी खातेदारी खेतों में से मार्ग निकालना व अप्रार्थीगण को परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत आवेदन खारिज योग्य है।

प्रकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार बाडमेर से मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक राजस्व/2022/2818 दिनांक 28.11.2022 द्वारा रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की, कि कमोईपुरा पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 305/194, 261/201, 286/194, 260/201, 193, 192, 191, 219/206 व 217/207 भूमि से गैर मुमकीन सड़क तक आने-जाने हेतु आवागमन हेतु खसरा संख्या 223/208 जो न्यूनतम दूरी का मार्ग है जो सड़क से जोड़ता है। मौके पर खसरा संख्या 217/207, 191, 192, 193, 260/201, 261/201, 286/201 से सेढे पर सम्बन्धित खातेदारों की सहमति से ग्रेवल सड़क बनी हुई है, जो बरंग लाल से दर्शित है तथा रास्ते हेतु प्रस्तावित बरंग हरा से प्रदर्शित है, जो निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	कुल रकबा	रास्ता लम्बाई/चौड़ाई (गठ्ठा में)	प्रस्तावित मार्ग का रकबा	डीएलसी दर की दुगनी राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	किस्तुरी पत्नी मुरारदान, हेतुदान माधूदान अर्जुनदान पिसरान शंकरदान कौम चारण रहन हेतुदान, किस्तुरी, माधूदान का हिस्सा एसबीआई भादरेश	224/208	0.5504	25 X 02	0.0202 हैक्टयर	22836.00

तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकित किया कि राजस्व रेकर्ड अनुसार (तरमीम) से डामर सड़क मौके पर भिन्न स्थान पर चल रही है जो संलग्न नक्शा में बरंग काला से दर्शित है।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौके का प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है वह उन्हे स्वीकार है

था प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के संलग्न परिशिष्ठ "अ" में बरंग हरा के अनुसार रास्ता उपलब्ध करवाने का निवेदन किया।

वकील अप्रार्थीगण ने तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता अस्वीकार करते हुए अभिकथन किया कि समस्त खातेदारों को पक्षकार नही बनाया गया है, जिसके कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है। खसरा संख्या 219/206 स्वयं की खातेदारी के खेत से डामर सड़क तक मार्ग जा रहा है तो प्रार्थीगण की खातेदारी खेतों को स्पर्श करता है। लिहाजा तहसीलदार बाडमेर की मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता अस्वीकार होने से प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जावें।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात एवं पत्रावली के अवलोकन एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि प्रार्थीगण का अपनी कृषि जोत में आने–जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता है। आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है। मौजा कमोईपुरा पटवार क्षेत्र भादरेश तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 305/194, 261/201, 286/194, 260/201, 193, 192, 191, 219/206 व 217/207 की भूमि से गैर मुमकीन सड़क तक आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 224/208 भूमि में से सरकारी मार्ग तक जाने हेतु रकबा 0.0202 हैक्टयर जो तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग हरा से दर्शाई गई है। प्रार्थीगण उक्त हिस्सा अनुसार राशि रू. 22836.00 के बैंकर्स चैक पेश करें। प्रार्थीगण द्वारा उक्त राशि जमा करवाने पर तहसीलदार बाडमेर राजस्व अभिलेख में रास्ते के रूप में अमल दरामद कर लठा ट्रेस मे तरमीम करावे तथा अप्रार्थीगण को नियमानुसार भुगतान करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16-12-22 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर